न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – गिर्राज प्रसाद बंसल

किस्म मुकदमा :– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या–20 / 2022 तारीख रजू 06.01.2022 निर्णय दिनांक 12.01.2022

निर्णय

राजस्थान सरकार **बनाम् रूपसिंह पुत्र बृजकिशोर जाति जाट निवासी विरहठा**

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री **रूपसिंह पुत्र बृजकिशोर जाति जाट निवासी विरहठा** तहसील बयाना ने ग्राम **विरहठा** तहसील बयाना के सिवायचकं गैमु0 रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 122 मे रकबा 128 वर्गमीटर पर फसल रवी सम्बत 2078 मे अनाधिकृत रूप से फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। इसलिये अतिचारी के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 12.01.2022 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल अनुपस्थित रहा। अतः गैरसायल के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा गैर सायल को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल रवी सम्बत 2078 मे अतिचारी श्री **रूपसिंह पुत्र बृजकिशोर जाति जाट निवासी विरहठा** तहसील बयाना का ग्राम **विरहठा** तहसील बयाना के सिवायचक गैमु0रास्ता भूमि खसरा नम्बर 122 मे रकबा 128 वर्गमीटर पर अतिकमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 2.00 रूपये का पचास गुना राशि 100 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोके से बेदखल कर फसल अथवा अन्य साम्रगी आदि को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय अनुसार बेदखली , फसल जप्ती ,नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मॉग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Girraj Prasad Bansal
Date: 2022.02.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना